



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220152
CG-DL-E-25062020-220152

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942

No. 233]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2020

पीएनजीआरबी/वाणि./2/एनजीपीएल प्रशुल्क(2)/2012.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम 2016 को संशोधित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंधन सेवाएं) विनियम, 2016 में विनियम 1 के उप विनियम (2) में "31 मार्च, 2020 की तारीख" के स्थान पर "31 अक्तूबर, 2020" प्रतिस्थापित की जाएगी।

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./90/2020-21]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 29.4.2016 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48, दिनांक 23.3.2018 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2020

PNGRB/COM/2-NGPL Tariff(2)/2012.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulation, 2016 namely: —

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Imbalance Management Services) Regulations, 2016, in sub-regulation (2) of Regulation 1, the date “31st March, 2020” shall be substituted by “31st October, 2020”.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./90/2020-21]

Foot Note : Principal regulations were notified vide F. No. PNGRB/M(C)/48, dated 29th April, 2016, and subsequently, amended vide F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 23.03.2018.